Hindi Update on Transport and Marketing Assistance scheme

कृषि उत्पादों पर परिवहन व मार्केटिंग की लागत बहुत ज्यादा आती है। इसी को देखते हुए सरकार ने कृषि उत्पादों के लिए एक नई स्कीम "Transport and Marketing Assistance" (TMA) लागू की थी। कृषि उत्पादों के लिए "परिवहन और विपणन सहायता" (Transport and Marketing Assistance) (टीएमए) का उद्देश्य कृषि उपज के माल और विपणन के international component के लिए सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम का उद्देश्य कृषि उत्पादों के निर्यात में लगने वाले ट्रांसपोर्टेशन की उच्च लागत के नुकसान को कम करने के साथ साथ विदेशीकरण और remote विदेशी बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों के लिए ब्रांड पहचान को बढ़ावा देना है। इस scheme को विदेश व्यापार नीति (2015-20) में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा।

इस स्कीम में वो सभी एक्सपोर्टर्स शामिल होंगे जो योग्य एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल में रजिस्टर्ड है। इस स्कीम में मिलने वाले बेनिफिट की रेट को एक्सपोर्ट किये गए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और देश के आधार पर समय समय पर निर्धारित की जाती है।

यह योजना समय-समय पर निर्धारित अवधि के लिए लागू होगी। वर्तमान में यह योजना 1।3।2019 से 31।03।2020तक के निर्यात के लिए उपलब्ध होगी।

HSN No 1 से 24 तक कवर किए गए सभी कृषि उत्पादों के निर्यात पर यह सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें समुद्री और वृक्षारोपण उत्पाद शामिल हैं। परन्तु Annexure (1) में आने वाले उत्पादों पर यह सहायता नहीं दी जाएगी।

टीएमए के तहत सहायता, जो भी गाड़ी भाड़े का पेमेंट किया है उस भाड़े के reimbursement के रूप में (Direct Bank Transfer) के माध्यम से नकद में प्रदान की जाएगी। FOB Supply जहां भारतीय निर्यातकों द्वारा कोई भाड़ा नहीं दिया गया है तो वो एक्सपोर्टरस इस योजना के तहत शामिल नहीं किये गए है।

पात्र उत्पादों के निर्यात के लिए सहायता का स्तर अलग अलग regions के लिए अलग-अलग होगा और ये स्तर समय-समय पर अधिसूचित किया जायेगा। टीएमए के तहत सहायता के लिए पात्र प्रत्येक क्षेत्र में निर्यात स्थलों / देशों की सूची दी गई है।

सहायता केवल तभी स्वीकार्य होगी जब निर्यात के लिए भुगतान सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से Free ForeignExchange में प्राप्त होगा। योजना केवल ईडीआई (EDI) बंदरगाहों के माध्यम से किए गए निर्यात के लिए स्वीकार्य होगी। यह योजना हवाई और समुद्र दोनों ही प्रकार से किये गए निर्यात के लिए एप्लीकेबल है ।

समुद्र द्वारा उत्पादों के निर्यात के लिए, टीएमए पुरे Twenty-feet Equivalent Unit (TEU) कंटेनरों के लिए किये गए भुगतान पर ही प्राप्त होता हैं (I) Less than Container Load (LCL) और (ii) कार्गो के पात्र और अयोग्य श्रेणी वाले कंटेनर के लिए यह सहायता उपलब्ध नहीं होगी। इसके अलावा, जहां कार्गो को बल्क / ब्रेक बल्क मोड में भेज दिया जाता है तो इस स्तिथि में भी कोई भी टीएमए उपलब्ध नहीं होगा। वायु द्वारा निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के लिए मिलने वाली सहायता की गणना Per Ton Freight Charges on net weight के आधार पर की जाती है।

इस योजना में सहायता अधिसूचित दरों पर प्रदान की जाती है।

कोविड-19 के कारण हुए lockdown को देखते हुए सरकार ने फॉरेन ट्रेड पालिसी में परिवर्तन किये हैं और इस से जो TMA की Quarterly एप्लीकेशन करने की अंतिम तिथि 31-3-2019 और 30-6-2019 थी उसको बढाकर 30-9-2020 कर दिया गया है।सभी कृषि क्षेत्र के निर्यातक इस कदम की सराहना करते हैं।

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/as well as follow us on twitter at https://www.twitter.com/@capradeepjain21.